भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1310
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में एनएसएपी

1310. श्री राजेश रंजन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निराश्रितों , गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों (बीपीएल) और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार राज्य में एनएसएपी योजनाओं के लाभार्थियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई की है कि बिहार में उन व्यक्तियों की सही संख्या कितनी है जो एनएसएपी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं , पर उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि बिहार में सभी पात्र व्यक्तियों को एनएसएपी योजनाओं का लाभ मिले?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) जी, हां। 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) पूरे देश में एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है , जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम में संरचना, पात्रता मानदंड और वित्त पोषण पैटर्न के संदर्भ में कई बदलाव हुए हैं। पात्रता मानदंडों के साथ एनएसएपी के तहत शामिल योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) बिहार राज्य में एनएसएपी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I।** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी के तहत बिहार राज्य के लिए जारी की गई निधियों का योजना-वार विवरण नीचे दिया गया है:

योजना	**वि.व. 2021-22 (रु. करोड़ में)**	**वि.व. 2022-23 (रु. करोड़ में)**	**वि.व. 2023-24 (रु. करोड़ में)**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	998.05	1006.18	1153.55
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	233.45	235.34	235.49
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	46.78	46.78	47.13
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	0	0	36.93

(ग) से (घ) : एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार , सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की नीति का पालन करना राज्यों की जिम्मेदारी है। बिहार सहित सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 2021-26 के लिए लाभार्थियों की राज्यवार सीमा के साथ परिव्यय को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, यदि योग्य लाभार्थी अधिक हैं , तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उन्हें अपने संसाधनों से पेंशन देने का विकल्प है।

बिहार में एनएसएपी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1310 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

पात्रता मानदंडों के साथ-साथ एनएसएपी के अंतर्गत शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा

योजना	सहायता राशि	पात्रता मांनदंड
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	200 रु.	60-79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिक
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिक
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	300 रु.	40-79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	300 रु.	18-79 वर्ष के आयु वर्ग में 80% दिव्यांगता के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)*	20,000 रु.	18-59 वर्ष की आयु के प्राथमिक जीविकोपार्जक की मृत्यु पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के उत्तरजीवी मुखिया
अन्नपूर्णा*	प्रत्येक माह 10 किलो अनाज	वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त न करने वाले बीपीएल वरिष्ठ नागरिक

*एनएफबीएस और अन्नपूर्णा मांग आधारित योजना है।

बिहार में एनएसएपी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1310 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध ।।

विगत तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	जिले	2021-22	2022-23	2023-24
1	अररिया	136724	136739	136760
2	औरंगाबाद	75663	75669	75684
3	बांका	77128	77133	77138
4	बेगूसराय	117330	117340	117351
5	भागलपुर	143999	144004	144027
6	भोजपुर	109435	109443	109463
7	बक्सर	75553	75574	75605
8	दरभंगा	191931	191943	191950
9	गया	165915	165938	166026
10	गोपालगंज	87310	87325	87335
11	जमुई	67058	67063	67087
12	जहानाबाद	40307	40311	40339
13	कैमूर (भभुआ)	69789	69799	69841
14	कटिहार	115875	115886	115890
15	खगरिया	71361	71368	71384
16	किशनगंज	90904	90922	90933
17	लखीसराय	42577	42579	42589
18	मधेपुरा	91226	91232	91234
19	मधुबनी	282482	282521	282542
20	मुंगेर	54147	54163	54182
21	मुजफ्फरपुर	266808	266830	266858
22	नालन्दा	143257	143291	143386
23	नवादा	88613	88618	88631

24	पश्चिम चंपारण	151954	151983	152068
25	पटना	304032	304073	304109
26	पूर्वी चंपारण	211231	211245	211264
27	पूर्णिया	143547	143570	143583
28	रोहतास	109195	109207	109258
29	सहरसा	96364	96369	96374
30	समस्तीपुर	154953	154971	155048
31	सारण	159953	159959	159961
32	शेखपुरा	28514	28521	28535
33	शिवहर	35179	35177	35178
34	सीतामढ़ी	157065	157083	157084
35	सिवान	117909	117912	117913
36	सुपौल	88702	88716	88723
37	वैशाली	197063	197120	197163
38	अरवल	35196	35197	35206
	कुल	**4596249**	**4596794**	**4597702**

(स्रोत: एनएसएपी पीपीएस पोर्टल)